न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामधन बनाम कालू वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 213/2026 (सरवाड)

रिमाण्ड 12/5/26

	श्री हसन खान	
11.05.2026	रामधन बनाम कालू वगैरह (2026/213) यह अपील श्री हसन खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 37/2023 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 12.05.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
12.05.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात बाबत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के बावजूद उक्त वाद पत्र विभाजन के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आक्षेपित आदेश से सम्पूर्ण आराजीयात बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट के विरूद्ध जारी किये जाने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गई है, आक्षेपित आदेश की आड में प्रार्थी के मकान निर्माण कार्य को रोकर जाकर प्रार्थी के उसके अधिकारों से महरूम किया जा रहा है एक सहखातेदार को उसके हिस्से की आराजी पर रहवासी मकान एवं कृषि कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री को रखे जाने बाबत किये जाने वाले निर्माण कार्य से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थी सहखातेदार को उसके अधिकारों से महरूम किये जाने के आदेश पारित कर निर्धारित अवधि तीस दिवस से अधिक निस्तारित नहीं कर प्रार्थी को महरूम किया हुआ है। जो कि जरिये अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अनिधियम के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी विधिक जानकारी से अनभिज्ञ व्यक्ति है जो कि स्वयं की सहखातेदारी की आराजीयात पर काश्त कर अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थी का निर्मित मकान गत तीन वर्षो से अधूरा पडा हुआ है, जिस बाबत निर्माण कार्य शुरू किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन दिनांक 15.04.2026 को मौके पर झगडा किया जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्तासे सम्पर्क किये जाने पर अधिवक्ता द्वारा उक्त एकपक्षीय निषेधाज्ञा के विरूद्ध अपील किये जाने की जानकारी दी गई। प्रार्थी जानकारी की दिनांक से सद्भाविक रूप से यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। उपरोक्त वर्णित कारणानुसार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामधन बनाम कालू वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 213/2026 (सरवाड)

प्र० इसन खोन

तारीख – गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर०बी०जे० (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसे दर्ज किया जाकर एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित तारीख पेशी दी जाती रही है। दिनांक 25.09.2024 को अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु समय चाहा। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित तारीख पेशीया दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतिम बहस हेतु परिपक्व है तथा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है।

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाव व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील/टीए/ 213 /2026/जिला अजमेर

2026|213

1. रामधन पुत्र मुकना जाट
2. जसराज पुत्र रामधन जाट
3. सुरेश पुत्र रामधन जाट
   समस्त निवासी ग्राम खीरियां, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. कालू पुत्र महावीर जाट
2. सूरता पत्नि महावीर जाट
3. हेमराज पुत्र महावीर जाट
   समस्त जाति जाट निवासी खीरियां तहसील सरवाड जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड।
5. उप पंजीयक सरवाड।

— अप्रार्थीगण

6. बदाम पुत्री मुकना जाट
7. मनभर पुत्री मुकना जाट
8. मैना पुत्री महावीर जाट
9. सांवरला लपुत्र महावीर जाट
   समस्त ग्राम खीरियां तहसील सरवाड जिला अजमेर।

— रेस्पोन्डेन्ट्स

2026|213
11|05|26

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.2.2023 जो कि न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 37/2023 बउनवानी "कालू बनाम रामधन" मे पारित किया गया।

महोदयजी,

अपीलान्ट्स की ओर से निम्नांकित निवेदन है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विरूद्ध अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 राजस्व वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत

Scanned with CamScanner